

[2023] 10 एस. सी. आर 1147:2023 आई. एन. एस. सी 637 ए

/

टीस्टा अतुल सीतलवाड़ बनाम.

गुजरात राज्य

(आपराधिक अपील सं.2022 2023 का) 19 जुलाई, 2023

/

[बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

जमानत-अपीलार्थी आदेश डी. टी. डी. के कारण अंतरिम जमानत पर था। 02.09.2022 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित-आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया और अपीलार्थी को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जब अपीलार्थी उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत अंतरिम संरक्षण का आनंद ले रही थी, तब उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने की कोई खतरनाक तात्कालिकता नहीं थी-वे विचार जो आदेश के समय उपलब्ध थे। 02.09.2022 पारित किए गए साक्ष्य अभी भी इस स्तर पर उपलब्ध हैं-वर्तमान मामले में अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो पहले से ही जांच एजेंसी के कब्जे में हैं और आरोप पत्र दायर किया गया है-जमानत के हकदार अपीलार्थी-आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया है और दरकिनार कर दिया गया है-अपीलार्थी गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा और उनसे दूर रहेगा-दंड संहिता, 1860-एस.468, 469, 471, 194, 211, 218 और 120 बी।

/

/

/

ज़किया अहसान जाफरी बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य **2022 (9) स्केल 385;**
निरंजन सिंह और एक अन्य बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे और अन्य **(1980) 2 एस. सी. सी.**

559 :[1980] 3 एस. सी. आर. 15-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

2022 (9) स्केल 385

संदर्भित

पैरा 5

[1980] 3 एससीआर 15

संदर्भित

पैरा 22

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 2022।

/

2022 के सी. आर. एल. एम. ए. सं. 14435 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 01.07.2023 के निर्णय और आदेश से।

कपिल सिब्बल, चंदर उदय सिंह, मिहिर ठाकुर, मिहिर देसाई, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री करिश्मा मारिया, निजाम पाशा, अदित

/

1147

1148

/

[2023] 10 एस सी आर।

सुब्रमण्यम पुजारी, सुश्री रूपाली सैमुअल, ऋषभ पारिख, सुश्री बिद्या मोहंती, सुश्री सुमेधा सरकार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एस. वी. राजू, ए. एस. जी., रजत नायर, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, कानू अग्रवाल, सुश्री देवयानी भट्ट, माधव सिंहल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

बी. आर. गवई, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. अपील को अंतिम सुनवाई के लिए लिया जाता है।

3. अपील में गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 1 जुलाई 2023 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिससे वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। 4. वर्तमान मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं।

/

5. इस न्यायालय द्वारा 24 जून को एक फैसला सुनाया गया।

2022, जकिया अहसान जाफरी बनाम गुजरात राज्य के मामले में और

/

अन्य 1, जिसमें पैराग्राफ 88 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:- "88. बिदाई के दौरान, हम एस. आई. टी. अधिकारियों की टीम द्वारा उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किए गए अथक कार्य के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा और फिर भी, हम पाते हैं कि वे बिना किसी नुकसान के आगे आए हैं। दिन के अंत में, हमें ऐसा लगता है कि गुजरात राज्य के असंतुष्ट अधिकारियों और अन्य लोगों का एकजुट प्रयास ऐसे खुलासे करके सनसनी पैदा करना था जो उनकी अपनी जानकारी में गलत थे। एस. आई. टी. ने गहन जाँच के बाद उनके दावों के झूठ को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। दिलचस्प रूप से, वर्तमान कार्यवाही पिछले 16 वर्षों से (67 पृष्ठों की दिनांकित शिकायत प्रस्तुत करने से और फिर 514 पृष्ठों की दिनांकित विरोध याचिका दायर करके) अपनाई गई कुटिल रणनीति (एस. आई. टी. के लिए विद्वान वकील को प्रस्तुत करने के लिए उधार लेने के लिए) को उजागर करने की प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक पदाधिकारी की ईमानदारी पर प्रश्न उठाने के दुस्साहस के साथ, बर्तन को उबलते रहने के लिए, जाहिर है, गुप्त रूप से, आगे बढ़ाया गया है। वास्तव में, प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कठघरे में खड़ा होना चाहिए और विधि के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। "

/

/

/

1 2022 (9) स्केल 385 ए

/

1149

तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

6. अगले ही दिन यानी 25 जून 2022 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आई. पी. सी.") की धारा 468, 469, 471, 194, 211, 218 और 120 बी के अंतर्गत दंडनीय

अपराधों के लिए एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई। अपीलार्थी को उसी दिन एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया। 26 जून 2022 को, अपीलार्थी को विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने सात दिनों की अवधि के लिए पुलिस रिमांड मंजूर की। सात दिनों की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद, अपीलार्थी को 3 जुलाई 2022 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

/

7. इसके बाद, अपीलार्थी ने विद्वत विचारण न्यायाधीश अर्थात् सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को 30 जुलाई 2022 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

/

8. इसके बाद अपीलार्थी ने 2022 का आपराधिक विविध आवेदन No.14435 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त 2022 के अपने आदेश के माध्यम से नियम जारी किया और इसे 19 सितंबर 2022 को वापस करने योग्य बना दिया।

9. जमानत आवेदन में अंतरिम राहत पर विचार नहीं करने के उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 2022 की आपराधिक अपील Nos.1417-1418 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने 2 सितंबर 2022 के अपने आदेश के माध्यम से, विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद, जिनका हम इसके बाद उल्लेख करेंगे, अपीलार्थी को कुछ शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, जो उक्त आदेश में पाई जा सकती हैं।

/

/

10. इस न्यायालय ने आगे कहा था कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित आवेदनों पर उच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए और तत्काल आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

/

11. इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, मामले की सुनवाई विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विभिन्न तिथियों पर की गई थी, और अंत में 1 जुलाई 2023 के आदेश के माध्यम से, जो इसमें आक्षेपित है, उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

12. प्रारंभ में, इस मामले को 1 जुलाई 2023 को दो माननीय न्यायाधीशों की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हालाँकि, चूंकि पीठ के दो विद्वान न्यायाधीश इस प्रश्न पर भिन्न

थे कि क्या अपीलार्थी अंतरिम संरक्षण का हकदार था या नहीं, इसलिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए हम तीन लोगों की एक पीठ का गठन किया।

/

/

1150

/

[2023] 10 एस सी आर।

13. सम तिथि के आदेश के अनुसार, हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पर एक सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी थी। हमने पंजीयक (न्यायिक) को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने और विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए मामले को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया था।

14. इसके बाद, यह मामला 5 जुलाई 2023 को हमारे सामने सूचीबद्ध किया गया। उक्त तिथि पर, हमने आज वापस करने योग्य नोटिस जारी किया था और पक्षों को उससे पहले दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, यह मामला आज हमारे सामने सूचीबद्ध है।

/

15. हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल और प्रत्यर्थी राज्य गुजरात की ओर से उपस्थित भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस. वी. राजू को विस्तार से सुना है। 16. अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज अपराधों में से केवल भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 194 और 468 गैर-जमानती हैं। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि भले ही एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों को अंकित मूल्य पर लिया जाए, लेकिन भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 194 और 468 के अंतर्गत मामला नहीं बनता है।

/

/

17. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप यह हैं कि उन्होंने कुछ नागरिकों को झूठे शपथ पत्र देने के लिए प्रभावित किया, जिनका उपयोग जांच के एक हिस्से के रूप में किया गया था। वह प्रस्तुत करता है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 194 केवल न्यायालय के समक्ष दर्ज साक्ष्य से संबंधित है। श्री सिब्बल प्रस्तुत करेंगे कि चूंकि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी ने झूठे साक्ष्य बनाए हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि वह किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराएगी, जो कि बड़ा मामला है,

इसलिए इसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 194 के दायरे अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले अंतर्गत भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 468 के तत्व भी नहीं बनाए गए हैं। 18. श्री सिब्ल ने आगे कहा कि जकिया अहसान जाफरी (उपरोक्त) के मामले में निर्णय देने वाली कार्यवाही में, हालांकि अपीलार्थी ने याचिकाकर्ता संख्या 2 के रूप में शामिल होने के लिए एक आवेदन दायर किया था, उक्त आवेदन का राज्य द्वारा जोरदार विरोध किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार के विरोध पर, न्यायालय इसमें अपीलार्थी के स्थान के मुद्दे पर विस्तार नहीं करना चाहता था और प्रारंभिक आपत्ति को एक उपयुक्त मामले में निर्णय लेने के लिए खुला रखता था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी को कार्यवाही में पक्षकार बनाए जाने के अभाव में जकिया अहसान जाफरी (ऊपर) के पैराग्राफ 88 में की गई टिप्पणियों का उपयोग उनके खिलाफ नहीं किया जा सकता था।

/

/

/

/

1151

तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

/

19. श्री एस. वी. राजू, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अपने आदेश पर सामान्य उग्रता के साथ, अपील का कड़ा विरोध करते हैं। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी सबूतों को जाली बनाकर पूरी तरह से असंबद्ध व्यक्तियों को दोषी ठहराने की कोशिश करने के एक बहुत ही जघन्य अपराध में शामिल है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कई व्यक्तियों ने बयान दिया है कि अपीलार्थी ने उन्हें शपथ पत्र देने के लिए मजबूर किया था ताकि उस समय राज्य सरकार में उच्च अधिकारियों को फंसाया जा सके। वह प्रस्तुत करते हैं कि प्रयास लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का था। श्री राजू प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता, भारी राशि स्वीकार करके, इस तरह की जघन्य गतिविधियों में लिप्त है और इस प्रकार, जमानत का हकदार नहीं है।

/

20. श्री राजू प्रस्तुत करते हैं कि एक साधारण वादी को जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए न्यायालय के विचार उन विचारों से भिन्न होंगे जो एक ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर विचार करते समय विचार करेंगे जो निर्दोष नागरिकों को मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने के प्रयास के गंभीर अपराध में शामिल है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करता है।

/

/

21. श्री राजू आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने, रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की सराहना करने पर, प्रथम दृष्टया पाया है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 194 के अंतर्गत अपराध का गठन करने वाले तत्व मौजूद हैं और एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और इसलिए, उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

/

22. जैसा कि इस न्यायालय ने निरंजन से ही कई मामलों में कहा था

सिंह और एक अन्य बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे और अन्य **2**, ए

जमानत के चरण में साक्ष्य के विस्तृत विस्तार से बचना होगा। यह न तो अभियोजन पक्ष और न ही अभियुक्त के हित में है। इस प्रकार, हम इस स्तर पर साक्ष्य के किसी भी विस्तृत विस्तार से बचना चाहेंगे।

/

23. विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जो सौ से अधिक पृष्ठों का होता है, पढ़ने के लिए एक दिलचस्प बनाता है। एक ओर, विद्वान न्यायाधीश ने यह देखने के लिए पृष्ठों के बाद पृष्ठ बिताए हैं कि यह कैसे आवश्यक नहीं है, बल्कि जमानत देने पर विचार करने के चरण में यह विचार करने के लिए अनुमति नहीं है कि क्या एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं।

24. एक ओर उअंतर्गत ोक्त अवलोकन करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश, दूसरी ओर, कुछ गवाहों के बयानों अंतर्गत चर्चा करने के लिए आगे बढ़ता है और देखता है कि एक प्रथम दृष्टया मामला

/

2 (1980) 2 एस. सी. सी. 559

/

1152

/

[2023] 10 एस सी आर।

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 194 बनाई गई है। निष्कर्ष पूरी तरह से विपरीत हैं, कम से कम कहने के लिए।

25. विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा है कि चूंकि अपीलकर्ता ने एक प्राथमिकी दर्ज करने और आरोप पत्र दायर करने के बाद, न तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 ("Cr.P.C". संक्षेप में) या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाही में इसे चुनौती दी है, इसलिए उसके लिए यह तर्क देना अनुमत नहीं है कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है।

/

26. विधि की सीमित समझ में, जो कारक हमारे पास हैं, जमानत देने के चरण में जिन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे हैं-(i) प्रथम दृष्टया मामला, (ii) अभियुक्त के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना, और (iii) अभियुक्त के न्याय के हाथों से भागने की संभावना।

/

27. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध की गंभीरता और गंभीरता एक अन्य कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

/

28. यदि विद्वान न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित टिप्पणियों को स्वीकार किया जाना है, तो पूर्व-परीक्षण चरण में जमानत के लिए किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि आरोपी धारा 482 Cr.P.C, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के अंतर्गत कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन दायर नहीं करता है।

/

29. कम से कम कहने के लिए, इस तरह के निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत हैं।

30. यद्यपि श्री सिब्बल ने जकिया अहसान जाफरी (उपरोक्त) मामले में निर्णय के पैराग्राफ 88 में की गई टिप्पणियों की प्रयोज्यता के संबंध में प्रस्तुत किया है, न्यायिक औचित्य हमें उन मुद्दों पर गहराई से विचार करने की अनुमति नहीं देगा।

/

31. इसी तरह, यद्यपि श्री सिब्बल ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 194 के अंतर्गत अपराध के लिए नहीं बनाया गया है, हम उस मुद्दे पर कुछ भी देखने से बचते हैं, क्योंकि हम पहले ही यहाँ ऊपर अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि इस स्तर पर साक्ष्य के विस्तृत विस्तार से बचा जाना चाहिए। उस संबंध में कोई भी टिप्पणी किसी भी पक्ष के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

/

32. हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा 02 सितंबर 2022 को आदेश पारित किए जाने के समय जो विचार उपलब्ध थे, वे अभी भी इस स्तर पर उपलब्ध हैं।

/

1153

तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

/

33. उक्त आदेश से कुछ टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:-

“हमें मामले के गुण-दोष पर पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान उद्देश्यों के लिए, हमारे विचार में, मामले के निम्नलिखित पहलू, जो अभिलेख से उभरते हैं, कुछ महत्व के हैं। अपीलार्थी-एक महिला 25.06.2022 के बाद से हिरासत में है।

/

बी। उसके खिलाफ आरोप लगाए गए अपराध वर्ष 2002 से संबंधित हैं और प्राथमिकी में किए गए दावों के अनुसार उन दस्तावेजों से संबंधित हैं जिन्हें प्रस्तुत करने की मांग की गई थी और/या वर्ष 2012 तक उन पर भरोसा किया गया था।

/

ग. जाँच तंत्र को सात दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ मिला है, जिसके बाद संबंधित न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत का आदेश दिया गया था।

/

XXX XXX XXX

हिरासत में पूछताछ पूरी होने, उच्च न्यायालय द्वारा मामले पर विचार किए जाने तक अंतरिम जमानत की राहत सहित जांच के आवश्यक तत्व निश्चित रूप से तैयार किए गए थे। "

/

34. उपरोक्त आदेश पारित करते समय न्यायालय के साथ जिस विचार का वजन किया गया था कि अपीलार्थी एक महिला है, वह नहीं बदला है। तथ्य यह है कि उसके खिलाफ आरोप लगाया गया अपराध वर्ष 2002 से संबंधित है और यह कि प्राथमिकी उन दस्तावेजों से संबंधित है जिन्हें प्रस्तुत करने की मांग की गई है या जिन पर वर्ष 2012 तक भरोसा किया गया है, वे भी नहीं बदले हैं। यह तथ्य कि अपीलार्थी सात दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ के लिए उपलब्ध थी और उसके बाद वह लगातार न्यायिक हिरासत में थी, भी नहीं बदला है।

/

35. एक अन्य बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि इस न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद, उन्हें एक भी अवसर पर जांच के लिए नहीं बुलाया गया है।

/

36. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जो पहले से ही जांच एजेंसी के कब्जे में हैं और इसके अलावा, आरोप पत्र दायर कर दिया गया है, हम पाते हैं कि वह जमानत की हकदार है।

/

1154

/

[2023] 10 एस सी आर।

37. एक अन्य कारक जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि आक्षेपित आदेश सुनाने के समय, विद्वान न्यायाधीश ने यह देखते हुए कि इस न्यायालय के 2 सितंबर 2022 के आदेश के कारण आपराधिक अपील संख्या 1417 और 2022 के 1418 में पारित किया गया था, अपीलार्थी अंतरिम जमानत पर था, उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश पर तीस दिनों के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया। हालाँकि, उक्त प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया गया था। हम यह समझने में विफल हैं कि अपीलार्थी को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने की खतरनाक तात्कालिकता क्या थी, विशेष रूप से जब अपीलार्थी 2 सितंबर 2022 से इस न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत अंतरिम संरक्षण का आनंद ले रहा था।

/

38. जहाँ तक अभियोजन पक्ष की इस आशंका का संबंध है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है, उसे गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करने का निर्देश देकर अभियोजन पक्ष की चिंता का ध्यान रखा जा सकता है।

/

39. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं। 40. आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और अपील की अनुज्ञात जाती है।

/

41. अपीलार्थी को जमानत पर बने रहने का निर्देश दिया जाता है, जो उसे 02 सितंबर 2022 के आदेश के संदर्भ में दिया गया था। अपीलार्थी अपना पासपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है, जो सत्र न्यायालय की अभिरक्षा में बना रहेगा।

/

42. हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा और उनसे दूर रहेगा। यदि अभियोजन पक्ष को लगता है कि ऐसा कोई प्रयास अपीलार्थी द्वारा किया गया है, तो वे हमारे आदेशों में संशोधन के लिए सीधे इस न्यायालय का रुख करने के हकदार होंगे।

/

43. हम स्पष्ट करते हैं कि आक्षेपित आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी और हमारे आदेश में हमारे द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी मुकदमे के चरण में निचली विचारण न्यायालय को प्रभावित नहीं करेगी।

44. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/